-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना पैलानी पुलिस द्वारा स्वयं को तथाकथित पत्रकार बताकर खदानकर्मी से रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा स्वयं को तथाकथित बताकर खदान संचालक से रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम खप्टिहाकला के रहने वाले अर्जुन सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह ने दिनांक 18.01.2026 को थाना पैलानी पर सूचना दी कि दिनांक 17.01.2026 की शाम को ग्राम खप्टिहाकला का ही रहने वाला पवन पुत्र रामप्रकाश अपने आपको तथाकथित पत्रकार बताकर कहा कि तुम साड़ी खदान के लिए काम करते हो और 50 हजार रुपए या प्रतिदिन 500 रुपए की मांग करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी गई तथा पूर्व में कई बार साड़ी खदान जाकर वीडियो बनाकर रंगदारी वसुलने की कोशिश कर चुका है। जिसके सम्बन्ध में थाना पैलानी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर पपरेंदा रोड अलोना नगर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पवन पुत्र रामप्रकाश निवासी खप्टिहांकला थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 17/26 धारा 352/351(3)/308(5) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राजेश कुमार वर्मा प्र0नि0 थाना पैलानी
2. उ0नि0 श्री लल्लन प्रसाद सिंह
3. कां0 धीरेन्द्र सिंह